



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उड़ान निरीक्षण एकक,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003

उड़ान निरीक्षण एकक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में अनुबंध के आधार पर एनएसओपी पद धारकों (उड़ान संरक्षा प्रमुख और संरक्षा प्रबंधक) की भर्ती के लिए विज्ञापन।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा), अनुसूची- 'ए' मिनी रत्न श्रेणी-1 भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को देश में नागर विमानन क्षेत्र में ग्राउंड एवं एयर स्पेस में बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन सहित हवाई अड्डों और एनरूट स्टेशनों पर स्थापित विभिन्न नेविगेशनल उपकरणों के एयर केलिब्रेशन हेतु 04 विमानों (डोर्नियर और बीचक्राफ्ट) के प्रचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो महानिदेशक नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा जारी नॉन शेड्यूल ऑपरेटर परमिट (एनएसओपी) धारक भी है, अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित एनएसओपी पदों के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करता है:

| क्र. सं. | एनएसओपी पद का नाम | पदों की संख्या | पात्रता मानदंड |
|----------|----------------------|----------------|--|
| 1 | उड़ान संरक्षा प्रमुख | 01 | <ol style="list-style-type: none">i. व्यापक विमानन/तकनीकी शिक्षा।ii. वाणिज्यिक प्रचालन, विशेष रूप से उड़ान प्रचालन प्रक्रियाओं और गतिविधियों का अच्छा ज्ञान।iii. भाविप्रा द्वारा संचालित विमानों पर उड़ान चालक दल के सदस्य के रूप में अनुभव या एविएशन इंजीनियर।iv. विमान दुर्घटना/घटना जांच, संरक्षा ऑडिट और दुर्घटना रोकथाम कार्य में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव।v. लिखित रूप में स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता।vi. अच्छी प्रस्तुति और पारस्परिक कौशल।vii. कंप्यूटर साक्षरता।viii. कंपनी के अंदर और बाहर, सभी स्तरों पर संवाद करने की क्षमता।ix. संगठनात्मक क्षमता।x. अकेले काम करने में सक्षम होना (कभी-कभी दबाव में भी)।xi. अच्छा विश्लेषणात्मक कौशल। |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | xii. नेतृत्व और अधिकारपूर्ण दृष्टिकोण प्रदर्शित करना। xiii. सहकर्मियों और प्रबंधन अधिकारियों के बीच सम्मान पाने की योग्यता होना। |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|-----------------|----|---|
| 2. | संरक्षा प्रबंधक | 01 | <p>i. तकनीकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए और विमानन में कम से कम पांच साल का प्रचालन अनुभव होना चाहिए, ताकि प्रचालन में सहायक प्रणालियों अथवा संगठन द्वारा प्रदान किए गए उत्पाद/सेवा को समझा जा सके। ये कार्मिक पायलट/लाइसेंस प्राप्त विमान रखरखाव इंजीनियर/डिस्पैचर/लोड और ट्रिम शीट कार्मिक/केबिन क्रू हो सकते हैं।</p> <p>ii. सीएआर सेक्शन 1 सीरीज सी भाग I के पैरा 1 परिशिष्ट 'बी' की आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर प्रशिक्षित होने चाहिए।</p> <p>iii. विमानन में संरक्षा प्रबंधन या गुणवत्ता प्रबंधन में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव, जिसमें दुर्घटना/घटना की जांच, संरक्षा आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण तथा संबंधित सुरक्षा जानकारी का वितरण, ऑडिट परीक्षा और निरीक्षण आदि शामिल हो सकते हैं।</p> <p>iv. पारस्परिक कौशल ।</p> <p>v. विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान कौशल।</p> <p>II. परियोजना प्रबंधन कौशल;</p> <p>III. मौखिक और लिखित संचार कौशल।</p> <p>V. मानवीय कारकों की समझ।</p> |
|----|-----------------|----|---|

2. कर्तव्य और जिम्मेदारियां : वर्तमान डीजीसीए सीएआर के अनुसार

3. आयु सीमा:

परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तक होगी। हालाँकि, उसे काम के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के स्तर और स्वास्थ्य स्थितियों के अधीन अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक परामर्शदाता के रूप में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। आयु की गणना 11.02.2025 के अनुसार की जाएगी।

4. अनुबंध अवधि:

अनुबंध अवधि 3 (तीन) वर्ष की होगी, जिसे संतोषजनक कार्य निष्पादन एवं आपसी सहमति के आधार पर 2 (दो) वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

5. मासिक पारिश्रमिक:

मासिक पारिश्रमिक/मासिक पैकेज उद्योग मानक के अनुसार 75,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक नेगोशिएबल होगा।



6. वार्षिक वेतन वृद्धि:

नेगोशिएबल मासिक पैकेज पर 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी।

7. अन्य नियम एवं शर्तें:

7.1 स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस):

आय पर प्रचलित नियमों के अनुसार आयकर या कोई अन्य कर, भुगतान करने से पूर्व काटा जाएगा, जिसके लिए विभाग टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा। सेवा कर/जीएसटी जो भी लागू हो, का अतिरिक्त भुगतान प्रचलित दरों पर किया जाएगा।

7.2 भत्ते:

परामर्शदाता किसी भी भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (डीए), आवासीय टेलीफोन, परिवहन सुविधा, निजी कर्मचारी आवासीय व्यवस्था, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि के लिए पात्र नहीं होंगे।

7.3 यात्रा /दैनिक भत्ता (टीए/डीए):

i असाइनमेंट पर कार्यभार ग्रहण करने पर या पूरा होने पर कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।

ii हालाँकि, परामर्शदाताओं को, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात कार्यालयीन कार्य के संबंध में देश में यात्रा के लिए टीए/डीए की अनुमति दी जाएगी।

iii परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और पीएसयू के सेवानिवृत्त अधिकारी सेवानिवृत्ति के समय लागू अंतिम पात्रता के अनुसार हकदार होंगे।

iv सेवानिवृत्त सरकारी/पीएसयू अधिकारियों के अलावा नियुक्त परामर्शदाताओं/प्रोफेशनलों हेतु टीए/डीए के लिए उनकी पात्रता प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्धारित की जाएगी।

7.4 उपस्थिति एवं छुट्टी:

i. परामर्शदाताओं को कार्य स्थल पर भाविप्रा कर्मचारियों की उपस्थिति प्रणाली के अनुरूप रिपोर्टिंग के स्थान पर प्रतिदिन अपनी बायोमेट्रिक/मैन्युअल उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

ii. परामर्शदाता यथानुपात आधार (Prorata Basis) पर एक कैलेंडर वर्ष में 15-दिनों की छुट्टी के लिए पात्र होंगे।

iii. अतः, एक परामर्शदाता को वर्ष में 12-दिनों से अधिक की अनुपस्थिति (यथानुपात आधार पर गणना) के मामले में कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।



iv. एक कैलेंडर वर्ष में अनप्रयुक्त छुट्टीयों को अगले कैलेंडर वर्ष में नहीं लिया जा सकता और न ही कार्यकाल की समाप्ति पर नकदीकरण किया जा सकता है।

v. सार्वजनिक अवकाश और अनुमेय छुट्टियों के अलावा इयूटी से अनुपस्थिति के मामले में, परामर्श फीस /मासिक पारिश्रमिक से आनुपातिक कटौती की जाएगी।

vi. यदि परामर्शदाता एक कैलेंडर वर्ष में पात्रता के अनुसार छुट्टियां लेने के बाद 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो भाविप्रा सेवाएं समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7.5 एग्रीमेंट और स्वीकृति पत्र:

चयनित परामर्शदाता और भाविप्रा० के बीच एक एग्रीमेंट किया जायेगा जिसमें परामर्शदाताओं की नियुक्ति सम्बंधित नियम एवं शर्तें निर्दिष्ट होंगी, तथा जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी ।

- i. कार्य क्षेत्र ।
- ii. परामर्शदाताओं को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक/फीस ।
- iii. स्रोत पर कर की कटौती ।
- iv. परामर्शदाता द्वारा भुगतान किये गये सेवा कर की प्रतिपूर्ति ।
- v. टीए/डीए के संदर्भ में घरेलू दौरे की आवश्यकता और इसके लिए पात्रता ।
- vi. कार्यालय स्थान, अन्य आधारभूत संरचना आदि के संदर्भ में भाविप्रा० द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं।
- vii. परामर्शदाता से असाइनमेंट के अपेक्षित डिलिबरेबल्स ।
- viii. यह एग्रीमेंट, परामर्शदाता और भाविप्रा० दोनों के लिए होगा ।

7.6 समझौते की समाप्ति: भाविप्रा० निम्नलिखित आधारों पर समझौते को समाप्त कर सकता है:

- i. यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी पाई जाती है तो उसे भाविप्रा द्वारा अयोग्य ठहराया जाएगा और उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में भाविप्रा का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
- ii. यदि परामर्शदाता/एनएसओपी पद धारक सौंपे गए कार्यों को करने में असमर्थ है।
- iii. सौंपे गए कार्यों की गुणवत्ता विभाग/भाविप्रा० की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है।
- iv. परामर्शदाता, भाविप्रा द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को समय पर हासिल करने में विफल रहता है।
- v. परामर्शदाता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी पाई जाती है।
- vi. परामर्शदाता की सेवाएं किसी भी समय एक महीने का नोटिस या नोटिस अवधि के बदले पारिश्रमिक/फीस देकर समाप्त की जा सकती हैं और इस संबंध में भाविप्रा० प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा।

8. तैनाती का स्थान: चयनित पद धारकों को उड़ान निरीक्षण एकक (फ्लाइट इंस्पेक्शन यूनिट) सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में तैनात किया जाएगा।



9. चयन मानदंड:

9.1 एनएसओपी पद धारकों का चयन भाविप्रा वेबसाइट पर दिए गए विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा, तदुपरांत आवेदन के साथ प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा।

9.2 पद धारकों की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी और उन्हें अनुबंध की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.3 भाविप्रा के पास इस विज्ञापन को रद्द करने और किसी भी स्तर पर मामले को आगे नहीं बढ़ाने, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

9.4 इच्छुक उम्मीदवार दिनांक :-11.02.2025 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-1) में अपना आवेदन ई-मेल-edfiu@aai.aero पर प्रति (copy to) gmfiu@aai.aero पर जमा करें। दिनांक :-11.02.2025 के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

9.5 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आवेदक को व्यक्तिगत साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान की सूचना उसके द्वारा आवेदन में दी गई ई-मेल पर दी जाएगी एवं भाविप्रा की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी।

9.6 सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय, अपने वर्तमान नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" लाना आवश्यक है।

9.7 चयनित उम्मीदवारों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ 100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टांप पेपर-पर एकएग्रीमेंट करना होगा।

10. आवेदन कैसे करें:

10.1 इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस विज्ञापन के अनुलग्नक -1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा करें। विधिवत भरे हुए आवेदन समर्थक दस्तावेजों के साथ ई-मेल edfiu@aai.aero/gmfiu@aai.aero पर जमा करें।

आवेदन डाक द्वारा निम्न पते पर भी जमा कराए जा सकते हैं :

सेवा में,

"कार्यपालक निदेशक (एफआईयू), उड़ान निरीक्षण एकक,



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003।”

आवेदन पत्र दिनांक 11/02/25 से पहले पहुंच जाने चाहिए।

10.2 जांच के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए तिथि, समय और स्थान संबंधी सूचना शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आवेदन में उल्लिखित ई-मेल पर दी जाएगी।

10.3 उम्मीदवार व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए अपने खर्च पर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होंगे।

11. आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

11.1 आवेदन में अंकित स्थान पर पासपोर्ट आकार का एक अद्यतन फोटो लगा होना चाहिए।

11.2 जन्मतिथि, शैक्षणिक तकनीकीव्यावसायिक योग्यता एवं अनुभव आदि/ के लिए सभी समर्थन साक्ष्यों की फोटोकॉपी का एक सेट।

11.3 यदि लागू हो तो लाइसेंस/ पृष्ठांकनों की फोटोकॉपी का एक सेट।

12. सामान्य:

12.1 भाविप्रा प्रबंधन भविष्य की आवश्यकता के आधार पर उपर्युक्त समय - सारणी /शर्तों / आवश्यकता/ पदों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12.2 एनएसओपी पद धारकों के लिए शॉर्ट-लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पूर्णतः अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

12.3 उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार के पास निर्धारित योग्यता/निर्धारित पात्रता मानदंड नहीं है .तो ऐसे मामलों में बिना किसी पत्राचार के उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि किसी भी विवाद की स्थिति में संलग्न सामग्री के अंग्रेजी पाठ को ही अधिकृत माना जाए।

कार्यपालक निदेशक (एफआईयू एवं आरसीडीयू)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003



अनुलग्नक - I

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

1. आवेदित पद :प्रचालन प्रबंधक/ नोडल अधिकारी
2. क :नाम (_____)
3. पिता का नाम : _____
4. पता : _____

पिन कोड _____

5. संपर्क विवरण:
6. दूरभाष नंबर : _____
7. मोबाइल नंबर : _____
8. ईमेल आ-ईडी : _____
9. जन्म तिथि : _____
10. आयु 11).02.2025 को(_____(वर्ष(_____(माह(_____(दिन(
11. राष्ट्रियता : _____

आवेदक अपना पासपोर्ट
आकार का अद्यतन
फोटो चिपकाएं.

12. शैक्षिक योग्यता) :10+2 से आगे(

| क्र.सं. | उत्तीर्ण परीक्षा | विश्वविद्यालयबोर्ड/ | परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष | विषय | अंको का % |
|---------|------------------|---------------------|-----------------------|------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

13. तकनीकी योग्यताएं:

| क्र.सं. | उत्तीर्ण परीक्षा | विश्वविद्यालयबोर्ड/ | परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष | स्थान अंकों का / प्रतिशत |
|---------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

14.लाइसेंस विवरण:



| क्र.सं. | लाइसेंस श्रेणी | संख्या | जारी करने की तिथि | वैद्यता तिथि | | अभ्युक्तियाँ |
|---------|----------------|--------|-------------------|--------------|----|--------------|
| | | | | से | तक | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

: अनुभव 15

| क्र.सं. | विभाग | धारित पद | जॉब प्रोफाइल |
|---------|-------|----------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

16. कोई अन्य जानकारी:

17. घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता करती / हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही हैं। मैं समझता / समझती हूँ कि यदि मैंने कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई है तो मेरी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

दिनांक

: आवेदक के हस्ताक्षर

